संख्या-361/2016/3762/नौ-5-2016-134बजट/2016

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक (अमृत)/निदेशक,
नगर निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 20 दिसम्बर, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation) के अन्तर्गत झांसी की पेयजल पुनर्गठन परियोजना में पुनर्निर्माण के कार्य, फेज-1 की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश/राज्यांश/ सेन्टेज की धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-पीएमयू/266/508 तक0सेल/2016, दिनांक 10 जून, 2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अमृत (AMRUT) के अन्तर्गत झांसी की पेयजल पुनर्गठन परियोजना में पुनर्निर्माण के कार्य, फेज-1 की अनुमानित लागत रु0 25157.63 लाख की परियोजना रचना एवं मूल्याकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रूपए 21950.81 लाख (रु0 दो अरब उन्नीस करोड़ पचास लाख इक्यासी हजार मात्र), जिसमें रु0 2351.81 लाख सेन्टेज तथा रूपए 188.14 लाख लेबर सेस सम्मिलित है, की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में केन्द्रांश, राज्यांश व सेन्टेज की कुल धनराशि रु0 3606.20 लाख (रु0 छत्तीस करोड़ छः लाख बीस हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो, प्रतिबन्धों एवं विवरण के अनुसार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि लाख रूपये में)

परियोजना का नाम	प्रायोजना, रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत पर निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	मूल्यांकित लागत में सेन्टेज की धनराशि	शुद्ध लागत (2-3)	लागत में सम्मिलित केन्द्रांश (शुद्ध लागत का 50 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित राज्यांश (शुद्ध लागत का 30 प्रतिशत)	लागत में सम्मिलित निकाय अंश (शुद्ध लागत का 20 प्रतिशत)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त राज्यांश	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त सेन्टेज	अवमुक्त कुल धनराशि (8+9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
झांसी की पेयजल पुनर्गठन परियोजना में पुनर्निर्माण के कार्य, फेज-1	21950.81	2351.81	19599.00	9799.50	5879.70	3919.80	1959.90	1175.94	470.36	3606.20

(कुल रूपए छत्तीस करोड़ छः लाख बीस हजार मात्र)

(1) अवमुक्त राज्यांश (रु0 1175.94 लाख) तथा सेन्टेज (रु0 470.36 लाख) की कुल धनराशि रु0 1646.30 लाख (रूपए सोलह करोड़ छियालिस लाख तीस हजार मात्र) निदेशक नगर निकाय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी तथा आवश्यकतानुसार अटल मिशन फोर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार व्यय की जायेगी।

(2) परियोजना के सापेक्ष निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल धनराशि रु0 1959.90 लाख (रु0 उन्नीस करोड़ उनसठ लाख नब्बे हजार मात्र) का व्यय शासनादेश संख्या-18/2016/6804/नौ-5-15-221बजट/2015, दिनांक 08.02.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से की जायेगी।

(3) अवमुक्त सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष समानुपातिक रूप से भुगतान की जायेगी।

(4) अटल मिशन फार रिजूवनेशन एण्ड अर्बन टांसफारमेशन के अन्तर्गत यथानिर्धारित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रश्नगत धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(5) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(आशीष कुमार रावत)
सहायक परियोजना अभियन्ता
अतिरिक्त निर्माण ईकाई
उ0प्र0 जल निगम, झाँसी

(6) निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ किया जायेगा तथा निर्धारित समय के अन्तर्गत पूर्ण किया जायेगा, जिससे कास्ट ओवर रन, टाइम ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(7) प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टयों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है, जिनमें उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि तथा उच्च विशिष्टयां इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है, तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना पर प्रशासकीय विभाग द्वारा 03 माह के अन्दर समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) परियोजना का क्रियान्वयन/अवमुक्त धनराशि का उपभोग भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(10) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।

(11) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा रखा जाय।

(13) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(14) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(15) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगा कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जायेगी।

3- अवमुक्त कुल धनराशि में से केन्द्रांश की प्रथम किश्त की कुल अवमुक्त धनराशि रूपए 1959.90 लाख (रू0 उन्नीस करोड़ उनसठ लाख नब्बे हजार मात्र) का व्यय शासनादेश संख्या-18/2016/6804/नौ-5-15-221बजट/2015, दिनांक 08.02.2016 द्वारा अवमुक्त धनराशि में से किया जायेगा ।

4- प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त कुल राज्यांश एवं सेन्टेज की धनराशि रूपए 1646.30 लाख (रूपए सोलह करोड़ छियालिस लाख तीस हजार मात्र) का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत *लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-05-अन्य शहरी विकास योजनाए-191-नगर निगमों को सहायता-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन के अन्तर्गत सहायता-35-पूंजीगत परिसम्पित्तयों के सृजन हेतु अनुदान"* के नामे डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के आशासकीय पंजी संख्या-ई-8-3073/दस-16, दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

20/3/2020

(आशीष कुमार रावत)
सहायक परियोजना अभियन्ता
अतिरिक्त निर्माण ईकाई
उ0प्र0 जल निगम, झाँसी

संख्या-361/2016/3762(1)/नौ-5-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(यर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी, उत्तर प्रदेश।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निदेशक/अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
13- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।

20/8/2020

(आशीष कुमार रावत)
सहायक परियोजना अभियन्ता
अतिरिक्त निर्माण ईकाई
उ0प्र0 जल निगम, झाँसी

संख्या- 223/2019/3024/नौ-5-2019-134बजट/2016

प्रेषक,

राधे कृष्ण,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक(अमृत)/निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग 5

लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2019

विषय: अमृत योजनान्तर्गत सैप वर्ष 2016-17 के लिए (AMRUT-Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation.) के अन्तर्गत झांसी पेयजल पुनर्गठन परियोजना फेज-1 के कार्य के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र संख्या-एसएमएमयू/2832/541/2019, दिनांक 25.02.2019 व दिनांक 20.07.2019 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अमृत योजना के सैप वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत नगर निगम झांसी की पेयजल पुनर्गठन परियोजना के कार्य (फेज-1) योजना हेतु शासनादेश संख्या-361/2016/3762(1)/नौ-5-2016-134बजट/2016, दिनांक 20.12.2016 द्वारा निर्धारित लागत रूपये 21950.81 लाख की वित्तीय एव प्रशासकीय स्वीकृति एव उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रूपये 3606.20 लाख का उपभोग प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत द्वितीय किश्त के रूप में केद्रांश रूपये 3919.80 लाख, राज्यांश रूपये 2351.88 लाख तथा सैंटेज रूपये 940.72 लाख कुल रूपये 7212.40 लाख का व्यय किये जाने हेतु राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) उक्त धनराशि का व्यय मिशन निदेशक (अमृत), नगरीय निकाय निदेशालय के खाते में अमृत योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष किया जाय।

(2) अमृत योजना के अन्तर्गत सैप-1, सैप-2, सैप-3 के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त हुई है, जो Fungible है तथा उक्त धनराशि को स्वीकृत कार्यो के सापेक्ष योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने के लिए उपभोग किया जा सकता है।

(3) अमृत योजना के तहत राज्य सरकार तथा भारत सरकार के अंश के साथ-साथ निकाय अंश की धनराशि की आवश्यकता भी होती है, जिसे प्रत्येक किश्त के साथ अवमुक्त करने में निकायों के स्तर से कठिनाई आ रही है। उक्त के दृष्टिगत निकाय अंश को परियोजना के पूर्ण होने के पूर्व निकाय द्वारा कार्यदायी संस्था को अवमुक्त/उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) अवमुक्त सेन्टेज की धनराशि कार्यदायी संस्था को नियमानुसार इस प्रकार उपलब्ध करायी जाय कि इसका संबंध व्यय से हो जाय। इस हेतु पहली यू.सी. जमा होने पर प्रथम किश्त का सेन्टेज, दूसरी यू.सी. जमा होने पर द्वितीय किश्त का सेन्टेज एवं प्रोजेक्ट कम्प्लीशन रिपोर्ट जमा होने पर अन्तिम किश्त का सेन्टेज देय होगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का व्यय अमृत योजना की गाइड लाइन्स एवं वितीय नियमों के अन्तर्गत किया जाय।

(6) उक्त परियोजना लागत में सम्मिलित निकाय अंश की धनराशि संबंधित निकाय द्वारा वहन की जायेगी।

(7) अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयबद्ध रूप से भारत सरकार, राज्य सरकार एवं महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को उपलब्ध कराया जायेगा।

Ashish 20/8/2020

(आशीष कुमार रावत)
सहायक परियोजना अभियन्ता
अतिरिक्त निर्माण ईकाई
उ0प्र0 जल निगम, झाँसी

(8) परियोजना के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के सम्परीक्षित लेखे का विवरण मिशन निदेशक(अमृत), नगर निकाय, उ0प्र0 द्वारा रखा जायेगा।

(9) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर 318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त-पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11) पीएफएडी/व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक 22 मार्च, 2019 द्वारा विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव

संख्या- 229 /2019/ 3029 (1)/नौ-5-2019-134बजट/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-.

1 महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
3 सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।
4- निदेशक (अमृत), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
6 मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, झांसी।
7- नगर आयुक्त, नगर निगम, झांसी।
8 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता (नागर)/पीडीएमसी, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
12- निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
13 वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव

20/8/2020
(आशीष कुमार रावत)
सहायक परियोजना अभियन्ता
अतिरिक्त निर्माण ईकाई
उ0प्र0 जल निगम, झाँसी